रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 1987/माघ 15, 1908
No. 47] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 1987/MAGHA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1987

अधिसूचना

39/87-सीमा-शुल्क

का.आ. 53(अ):—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 512—सीमा-शुल्क [का.आ.सं. 963(अ)] तारीख 29 दिसम्बर 1986 में, निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् उक्त अधिसूचना के नीचे

की अनुसूची में क्रम सं. 5 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
5	डेनमार्क के क्रोनर	51.90

यह दर 7-2-87 से लागू होगी।

[फा.सं. 503/1/87-सीमा-शुल्क-6]

एस.के. सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th February, 1987

NOTIFICATION

NO. 39/87-CUSTOMS

S.O. No. 53(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 512-Cus. [S.O. No. 963(E)], dated 29th December, 1986, namely :—

In the Schedule below the said Notification for serial No. 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
5.	Danish Kroner	51.90

This rate will be effective from 7-2-1987.

[F. No. 503/1/87-Cus. VI]

S. K. SINHA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987